

समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला स्थापना शाखा)

-: आदेश :-

महानिदेशक, अभियोजन, बिहार, पटना के पत्रांक-434, दिनांक-08.05.2015 के द्वारा मुख्य शीर्ष-2014-न्याय प्रशासन उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-114 विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउंसिल) उप शीर्ष 0004 अभियोजन निदेशालय मॉग सं0-22 विपत्र कोड-N-2014001140004 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु वेतनादि एवं आकस्मिक निधि मदों में आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसका पूर्णतः उपावंटन जिला अभियोजन पदाधिकारी, मधेपुरा को निम्नप्रकार किया जाता है:-

क्र0	उपावंटन प्राप्त करने वाले पदा0 का पदनाम	प्राथमिक ईकाई/ सं0	कुट	पूर्व का उपावंटित राशि	वर्तमान उपावंटित राशि	कुल राशि
01.	जिला अभियोजन पदाधिकारी, मधेपुरा	वेतन 0101		00	449000	449000
		जीवन यापन भत्ता 0103		00	587500	587500
		आवास भत्ता 0104		00	55000	55000
		चिकित्सा भत्ता 0106		00	4000	4000
		अन्य भत्ता 0107		00	124500	124500
		कुल		00	1220000	1220000
		दूरभाष 1303		00	2500	2500
		वर्दी/पोशाक 1306		00	2000	2000
		विद्युत प्रभार 1304		00	1500	1500
		कार्यालय व्यय 1301		00	5500	5500
		कुल योग -		00	1231500	1231500

मो0 बारह लाख एकतीस हजार पाँच सौ रुपये मात्र।

1. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभागीय ज्ञापांक-2561/वि0(2), दिनांक-17.04.1998 की कंडिका 7,8,9,10 एवं 11 का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाय।
2. यह राशि मुख्य शीर्ष- N2014001140004 न्याय प्रशासन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2015-16 में विकलनीय होगा।
3. संगत वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत उपावंटित राशि का नियमानुकूल व्यय संबंधित उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
4. व्यय विवरणी एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
5. वर्तमान वित्तीय वर्ष के आवंटन से सेवा निवृत्त हुए एवं आलोच्य वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के बकाये संबंधी दावे का जाँचोपरान्त प्रथमिकता के आधार पर भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
6. वेतनादि मद में आवंटित की जा रही राशि में से यदि वेतन एवं भत्ते मदों में किसी ईकाई में अधिक या कम राशि हो तो निकासी व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के पत्रांक 405 दिनांक 25.05.2005 के आलोक में अलग-अलग उप ईकाईयों के लिये राशि कर्णांकित करने के पश्चात ही विपत्र प्रेषित करेंगे।
7. उपावंटित राशि का विचलन कर अन्य मदों में कदापि व्यय नहीं किया जाय।
8. इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

38/
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 409-2 /स्था0, मधेपुरा, दिनांक 26.05.2015

प्रतिलिपि : जिला अभियोजन पदाधिकारी, मधेपुरा / कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/05/15
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।